परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक :– 2747 सीएसी / 09– 294 सीएसी / 90 दिनांक 24 नवम्बर,2009

सेवा में ,

1– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक।
2– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो)।
3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त)।
4– समस्त सम्परीक्षा अधिकारी।
5– समस्त सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी,
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषय–परिवहन निगम की यात्री बसों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या–2175/ 30-4-09-346/95 दिनॉक 23.11.2009 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण के आदेश संख्या–299(जी)/एसटीए/2009–173एसटीए/2004 दिनॉक 24.11.2009 द्वारा यात्री किराये की दरो को पुनरीक्षित कर दिया गया है।

उपरोक्त परिपत्रों में उल्लिखित प्राविधानो के अर्न्तगत तत्काल प्रभाव से विभिन्न श्रेणी की सेवाओ हेतु किराया दरे निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

सेवा	किराया दरें (पैसे प्रति यात्री प्रति किमी0)
साधारण सेवा	60.00
पवन गोल्ड (एक्सप्रेस)	75.00
शीतल (वातानुकूलित)	92.40
शताब्दी (वातानुकूलित)	114.00
वाल्वो (वातानुकूलित)	120.00
स्लीपर	75.00 + रू0 50.00 प्रति बर्थ
स्लीपर (वातानुकूलित)	114.00 + रू0 60.00 प्रति बर्थ

इसके अतिरिक्त नगर बस हेतु निम्न किराया निर्धारित किया जाता हैः–

दूरी	दर (रूपया)
3 किमी0 तक	4.00
3 किमी0 से अधिक परन्तु 05 किमी0 तक	6.00
5 किमी0 से अधिक परन्तु 10 किमी0 तक	10.00
10 किमी0 से अधिक परन्तु 15 किमी0 तक	12.00
15 किमी0 से अधिक परन्तु 20किमी0 तक	15.00
20किमी0 से अधिक	20.00

...........2

वातानुकूलित नगर सेवाओं का किराया निम्नवत् निर्धारित किया जाता हैः–

दूरी	दर (रूपये)
5 किमी0 तक	10.00
5 किमी0 से अधिक परन्तु 10 किमी0 तक	20.00
10 किमी0 से अधिक परन्तु 15 किमी0 तक	30.00
15 किमी0 से अधिक परन्तु 20किमी0 तक	40.00
20किमी0 से अधिक	50.00

उपरोक्त के अतिरिक्त साधारण ठेका गाड़ियों (चार्टड) की दरें रू0 26.38 प्रतिकिमी0 निर्धारित की जाती है। 08 घंटे तक की अवधि के लिये प्रतीक्षा भाड़ा रू0 350.00 तथा उसके उपरान्त रू0 22.05 पैसे प्रतिघंटा निर्धारित किया जाता है।

किराये की धनराशि 100 पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णाकिंत की जायेगी अर्थात इक्यावन पैसे या इससे अधिक के भाग को सौ पैसा गिना जायेगा और इक्यावन पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

शासन के पत्र संख्या–2177/30-4-2009-346/95 दिनॉक 23.11.2009 के अनुसार जनता/उप नगरीय बस सेवाओं के किराये में कोई वृद्धि नही की गयी है तथा इन सेवाओं में वर्तमान किराया ही प्रभावी रहेगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय
ह0–
(पी0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा0)

पत्रांकः– समसंख्यक एवं समदिनॉकित
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/ निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक/निजी सचिव, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) परिवहन निगम मुख्यालय।
2– मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय।
3– समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय।
4– उप मुख्य लेखाधिकारी (आडिट), परिवहन निगम मुख्यालय।

ह0–
(पी0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा0)

उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में निम्नवत् विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को नियमानुसार निःशुल्क यात्रा–सुविधा प्रदान की जा रही हैः–

क0 सं0	विशेष श्रेणी के व्यक्ति जिनको निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है	यात्रा का आधार	अनुमन्य बस की श्रेणी
1	उ0प्र0 से निर्वाचित राज्य सभा / लोकसभा के मा0 सदस्य	शासन से निर्गत परिचय–पत्र/पास	समस्त श्रेणी
2.	उक्त के एक सहवर्ती	–	" "
3.	उ0प्र0विधान परिषद के भू0पू0 मा0 सदस्य	शासन से निर्गत परिचय–पत्र/पास	समस्त श्रेणी
4.	उक्त के एक सहवर्ती	–	" "
5.	उ0प्र0 विधान सभा के भू0पू0मा0 सदस्य	शासन से निर्गत परिचय–पत्र/पास	समस्त श्रेणी
6.	उक्त के एक सहवर्ती	–	" "
7.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिंषद, उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त परिचय–पत्र	समस्त श्रेणी
8..	उक्त के एक सहवर्ती	–	" "
9. .	मान्यता प्राप्त पत्रकार	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत प्रेस मान्यता कार्ड	समस्त श्रेणी
10.	40प्रतिशत या अधिक विकलांगता से ग्रस्त विकलांग	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र	केवल साधारण श्रेणी
11.	निम्नांकित श्रेणी के विकलांगो को एक सहवर्ती सहित अनुमन्यताः– (क) जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो या अल्प दृष्टि हो । (ख) जो पूर्ण रूप से मूक हो, बधिर हो या दोनो हो । (ग) जिनके एक हाथ व एक पैर या जिनके दोनो हाथ या दोनो	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र	समस्त श्रेणी

	पैर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कटे हो। (घ) जिनका एक हाथ व एक पैर या दोनो हाथ या दोनो पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हो। (च) जो मानसिक रूप से मन्द / रूग्ण हो। (छ) जो लिप्रोसी मुक्त विकलांग हो।		
12.	राष्ट्र/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त प्रदेश के शिक्षक	शिक्षा विभाग से निर्गत परिचय–पत्र व किमी0 कूपन	साधारण श्रेणी
13.	शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति तथा वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिक एवं पुलिस बल के जवान	परिवहन निगम मुख्यालय से निर्गत परिचय–पत्र/पास	समस्त श्रेणी (वातानुकूलित बसे छोड़कर)

उक्त कम सं0–1से 12 पर अंकित विशेष श्रेणियों को प्रदान की गयी नि:शुल्क बस यात्रा–सुविधा के व्ययभार की प्रतिपूर्ति शासन के संबंधित विभागों द्वारा परिवहन निगम को की जाती है।